उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-106/2023/2304/तीस-3-2023-12जीई/2017
लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 सपठित शासनादेश संख्या-08/2015वे0आ0-2-190-दस-62(एम)/2008टीसी-1, दिनांक 03.03.2015, शासनादेश संख्या-50/2015वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26.08.2015, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-373/दस-62(एम)/2008 टीसी-1, दिनांक 04.07.2019, शासनादेश संख्या-4/2019/13(2) 2017/क-1-2019, दिनांक 27.09.2019 एवं शासनादेश संख्या-6/2019/वे0आ0-2-729/दस-2019-62(एम)/2008टीसी, दिनांक 04.11.2019 की व्यवस्थान्तर्गत दिनांक 25.05.2023 को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित परिवहन आयुक्त संगठन के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्तम्भ-4 में अंकित ग्रेड वेतन का लाभ स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	नाम/पदनाम	देय ए0सी0पी0	अनुमन्य ग्रेड वेतन	ए0सी0पी0 की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री निर्मल प्रसाद, अपर परिवहन आयुक्त (आईटी), मुख्यालय सम्प्रति सेवानिवृत्त	द्वितीय	7600/-	दिनांक 01.12.2008 से 03.05.2011 तक
2	श्री सुरेन्द्र कुमार, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), लखनऊ	द्वितीय	7600/-	दिनांक 20.01.2010 से

ह0/-
एल० वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव

संख्या- 106/2023/2304(1)/तीस-3-2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त उ०प्र०, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in